न्यायालय जिला कलक्टर, अलवर (राजस्थान)

अपील संख्या:– 12/13/2025 रजू दिनांक: 29.01.2025 रजि0 न0 2025/20

अपीलार्थी:–

श्री प्रहलाद पुत्र श्री कन्हैयालाल गुप्ता, निवासी प्लॉट सं. 12/45 व 95, रिद्धि–सिद्धि भवन, दीवानजी का चौक, मुंशी बाजार, वार्ड नं. 12, जिला अलवर (राजस्थान)।

प्रत्यर्थी:–

लोक सूचना अधिकारी एवं पदेन अतिरिक्त जिला कलक्टर (द्वितीय), जिला अलवर (राजस्थान)

अपील अन्तर्गत सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005

—:: निर्णय ::—

दिनांक:– 10.02.2025

1. अपीलार्थी ने सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 (संक्षेप में अधिनियम,2005) की धारा–6(1) के अन्तर्गत लोक सूचना अधिकारी को ऑनलाईन RTI पोर्टल के माध्यम से आवेदन दिनांक 18.01.2025 प्रस्तुत कर पत्र में वर्णित तथ्यों पर बिन्दुवार सूचना चाही गई, जो उपलब्ध नही कराई गई। अतः वांछित सूचना उन्हे दिलवाई जावें।
2. अपीलार्थी द्वारा प्रथम अपील प्रार्थनापत्र न्यायालय को पेश कर निवेदन किया है कि लोक सूचना अधिकारी द्वारा सूचना उपलब्ध नही करवाई, सूचना उपलब्ध करवाई जावें।
3. अपील प्राप्त होने पर दर्ज कर वाँछित सूचना नहीं दिए जाने के संबंध में लोक सूचना अधिकारी से जवाब तलब किया गया एवं अपीलार्थी को नोटिस जारी किया कि यदि वह सुनवाई हेतु उपस्थित होना चाहता है तो दिनांक 10.02.2025 को उपस्थित आवें।
4. अपीलार्थी उपस्थित नही आया एवं प्रत्यर्थी से जवाब प्राप्त हुआ। पत्रावली का अवलोकन किया एवं जवाब प्रत्यर्थी पर मनन किया। प्रत्यर्थी ने पत्रांक लो.सू.अ./प्रथम अपील/2025/138 दिनांक 10.02.2025 के द्वारा जवाब प्रस्तुत कर अवगत कराया है, कि अपीलार्थी द्वारा अपील के माध्यम से RTI Online Portal पर प्रस्तुत सूचना आवेदन क्रमांक 293551722100670 दिनांक 18.01.2025 के परिप्रेक्ष्य में इस कार्यालय द्वारा किए गये विनिश्चय पत्र सं0 7137965129 दिनांक 22.01.2025 के विरूद्व आक्षेप व्यक्त किया है। उक्त के संबंध में अनुरोध है कि अपीलार्थी के विरूद्व CCA नियमों के तहत अनुशासनात्मक कार्यवाही विचाराधीन/लम्बित चल रही है, जिससे CCA नियमों के आलोक में किसी प्रकार की नकल जारी नहीं की जा सकती है। प्रशासनिक सुधार एवं समन्वय विभाग, राज0 सरकार के परिपत्र दिनांक 12.10.2018 में भी स्पष्ट निर्दिष्ट है कि यदि किसी विशेष अधिनियम में दस्तावेजों की प्रतिलिपि लेने अथवा उनके निरीक्षण हेतु कोई प्रावधान/पूर्व प्रचलित नियम निर्धारित है तो ऐसी स्थिति में विशेष अधिनियम के प्रावधान लागू होंगें, तद्नुसार ऑनलाईन पोर्टल पत्र सं. 7137965129 दिनांक 22.01.2025 के माध्यम से विनिश्चय किया जाकर आवेदन अस्वीकृत किया जा चुका है।
5. पत्रावली का अवलोकन किया एवं जवाब प्रत्यर्थी पर मनन किया। प्रस्तुत जवाब के अवलोकन एवं अध्ययन से स्पष्ट है कि प्रत्यर्थी द्वारा अपीलार्थी को वांछित सूचना के संबध में RTI Online Portal Letter No. 7137965129 Date 22.01.2025 के माध्यम से विनिश्चय किया जा चुका है तथापि प्रत्यर्थी द्वारा प्रथम अपील के संबंध में जरिये प्रतिलिपि क्रमांक सम/139 दिनांक 10.02.2025 के द्वारा उक्त प्रकरण में अधिनियम, 2005 के विधिक प्रावधानों के आलोक में पुनः सूचना प्रेषित की जा चुकि है। अपील अपीलांट अस्वीकार किये जाने योग्य है।
6. अतः उक्त आलोक में अपील अपीलांट अस्वीकार की जाकर निस्तारित की जाती है। निर्णय की प्रति अपीलार्थी एवं प्रत्यर्थी को भिजवाई जावें।
7. निर्णय आज दिनांक 10.02.2025 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो बाद तकमील दाखिल दफ्तर हो।

न्यायालय जिला कलक्टर अलवर (राज0)

(डॉ. आर्तिका शुक्ला)
जिला कलक्टर अलवर
(राजस्थान)